WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

मेरठ

व्यापार एवं उद्योग की समृद्धि के लिये

JUNE 2025

MASIK PATRIKA

:wupcci01@gmail.com
wupcc23@yahoo.com
: 0121-2661177
0121-4346686
Website: www.wupcc.org
Address: Bombay Bazar,
Meerut Cantt- 250001

- **Patron**

  Dr. Mahendra Kumar Modi

- **President**

  Dr. Ram Kumar Gupta

- **Sr. Vice President**

  Shri G.C. Sharma

- **Jr. Vice President**

  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar

- **Secretary / Editor**

  Smt Sarita Agarwal

  Patrika Committee

- **Chairman**

  Shri Rahul Das

- **Co-Chairman**

  Shri Sushil Jain

- **Members**

  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)

  Shri Rakesh Kohli

  Shri Trilok Anand

  Shri Rajendra Singh

  Shri Atul Bhushan Gupta

- **Co-Editor**

  Ms. Khushi

INDEX

- बंद खाते को किसी भी बैंक शाखा से शुरू करा सकेंगे
- एमएसएमई में बढ़ेगा औद्योगिक निवेश, जल्द विकसित होगा दूसरा प्लेज पार्क
- जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क में होगी 410 यूनिट
- जल्द लागू होगी केंद्रीय केवाईसी की व्यवस्था
- आयकर रिटर्न के साथ जरूरी दस्तावेज भी जमा कराने होंगे
- इंडस्ट्रियल एरिया में श्रमिकों के लिए बन सकेंगे घर
- पीएफ खाते से एक लाख तक एटीएम-यूपीआई से निकलेंगे
- अब अपने घर के छह कमरों में बना सकेंगे होमस्टे
- आपके घर को मिलेगा खुद का आधार, पता ढूंढ़ना होगा अब आसान
- मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए आएगी अलग नीति
- सीपीसीबी सीधे उद्यमी और व्यापारियों को देगा एनओसी
- Government approves Rs 417 crore electronics manufacturing cluster in Uttar Pradesh
- Exporters No Longer Restricted To SEZs, Can Now Operate From Any Location: FM
- Online Dispute Resolution for MSE Payment Delays to Launch Next Week
- DGFT Tightens Import Restrictions On Precious Metal Alloys & Chemical Compounds Containing Gold
- Simplify GST registration, plug tax leakage: FM
- Finance Ministry pitches for improving export cargo facilities on ports
- Import Duty Reduced on Crude Edible Oils to 10%
- Finance Ministry Allows Bonus Shares In FDI-Restricted Sectors
- India Strengthens Specialty Chemical Capabilities with TDB-backed Clearsynth Facility
- SEZ Rules Relaxed; Land Requirement Down From 50 To 10 Hectares Acre To Boost Semiconductor, Electronics Manufacturing

बंद खाते को किसी भी बैंक शाखा से शुरू करा सकेंगे

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निष्क्रिय बैंक खातों और बिना दावे वाली रकम को फिर से सक्रिय करने के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत अब ग्राहक अपने बंद पड़े खाते को संबंधित बैंक की किसी भी शाखा से फिर से शुरू करवा सकते हैं।

पहले इसके लिए बैंक की उसी शाखा में जाना पड़ता था, जहां खाता खोला गया था। निष्क्रिय खाते को दोबारा शुरू करने के लिए कई दस्तावेज और प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती थीं, जिससे ग्राहक असुविधा महसूस करते थे।

नए नियमों से ग्रामीण और बुजुर्ग ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही खाते को शुरू कराने के दौरान केवाईसी को वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए भी करवाया जा सकेगा। ग्राहक चाहें तो वीडियो केवाईसी या बैंक प्रतिनिध परेस्पोंडेंट के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित कर सकते हैं।

क्या हैं निष्क्रिय खाते : अगर कोई बैंक खाता 10 साल या उससे ज्यादा समय तक इस्तेमाल नहीं किया जाता तो उसे निष्क्रिय खाता माना जाता है। इसी तरह, अगर कोई जमा राशि 10 साल तक बिना दावे के रहती है तो वह बिना दावे वाली जमा कहलाती है। ऐसे खातों की रकम को आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में भेज दी जाती है।

एमएसएमई में बढ़ेगा औद्योगिक निवेश, जल्द विकसित होगा दूसरा प्लेज पार्क

औद्योगिक प्लाटों की कमी से जूझ रहे जिले के लिए प्लेज योजना के तहत विकसित किए जा रहे प्लेज पार्क से निवेश बढ़ सकता है। पहला प्लेज पार्क मवाना में विकसित किया जा रहा है, वहीं दूसरे प्लेज पार्क की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें एमएसएमई के लिए 75 प्रतिशत प्लाट आरक्षित होते हैं। गौरतलब है कि मेरठ एमएसएमई का प्रमुख केंद्र है। प्रदेश सरकार की निजी औद्योगिक क्षेत्र विकास योजना यानी प्लेज के तहत औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के प्रयास जारी हैं। मवाना रोड पर 10.3 एकड़ में पहला प्लेज पार्क विकसित किया जा रहा है। पिछले साल इसमें कार्य शुरू हुआ था। इसका 85 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। प्लाट आवंटन की प्रक्रिया भी साथ-साथ चल रही है। इसमें एमएसएमई के लिए 23 प्लाट हैं... जिनका क्षेत्रफल एक हजार वर्ग गज से 1500 वर्ग गज तक है। बाकी प्लाट बड़े उद्योग के लिए हैं। साथ ही जिला प्रशासन व जिला उद्योग केंद्र के प्रयास से अब दूसरे प्लेज पार्क के लिए भी तैयारी शुरू हो गई है। 39.46 एकड़ में खरखौदा के अजराड़ा गांव में इसक विकास किया जाना है। जिसमें 120 औद्योगिक और व्यावसायिक प्लाट रहेंगे। संबंधि विकासकर्ता के प्रस्ताव पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति की ओर से जमीन का परीक्षण कराया जा रहा है। राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग, मेडा आदि से हरी झंडी मिलने के बाद प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाएगा। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि औद्योगिक भूमि की कमी को पूरा करने के लिए इस योजना के तहत निजी औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। विकासकर्ता को सब्सिडी के साथ विभिन्न प्रकार की छूट भी दी जाती है। **यह है योजना :** प्रदेश सरकार की योजना है प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फार डेवलपमेंट आफ ग्रोथ इंजिन्स यानी प्लेज। इसके तहत पांच से 50 एकड़ तक की भूमि पर कोई भी व्यक्ति निजी औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर सकता है। विकासकर्ता को जमीन खरीदने के लिए 90 प्रतिशत धनराशि एक प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराई जाती है। स्टांप शुल्क में शत प्रतिशत छूट मिलती है।

जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क में होगी 410 यूनिट

शहर के सराफा कारोबार को तेज गति देने के लिए जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क पर काम तेज हो गया है। इसका निर्माण वेदव्यासपुरी में कराया जाएगा। यह भवन बेसमेंट पार्किंग के साथ पांच मंजिला होगा। इसमें एक ही गेट से एंट्री होगी। बैंक, कस्टम ऑफिस, गैस सप्लाई समेत तमाम सुविधाएं होंगी। राइट्स कंपनी ने इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बना ली है। इसमें कुल 410 छोटी-बड़ी यूनिट होंगी। पार्क के प्लान-ए में छोटी व बड़ी 196 यूनिट होंगी। इसमें लगभग 63,500 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया होगा। इसी प्रकार प्लान-बी में बड़ी और छोटी मिलकर 214 यूनिट बनेंगी। इसमें लगभग 64,500 वर्ग मीटर जगह बनाकर दी जाएगी। इसके साथ ही कॉमन फैसिलिटी सेंटर, बैंक, कस्टम ऑफिस, गार्ड रूम, पॉवर बैकअप सप्लाई, गैस सप्लाई, एयर पाइपलाइन, ईटीपी, एसटीपी, गोल्ड लॉकर रूम आदि सुविधाएं होंगी। इस प्रोजेक्ट के नजदीकी ज्वेलर्स के लिए एक बड़ा कॉम्प्लेक्स आधुनिक सुविधाओं के साथ होगा ताकि वर्कशॉप और रिटेल शोरूम एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करेंगे। मेडा के नगर नियोजक ने बताया कि मेडा उपाध्यक्ष के समक्ष राइट्स कंपनी के पदाधिकारियों ने प्रजेंटेशन दिया है

जल्द लागू होगी केंद्रीय केवाईसी की व्यवस्था

केवाईसी यानीअपने ग्राहक को जानो की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए जल्द ही पूरे देश में सेंट्रल केवाईसी की व्यस्था लागू होने जा रही है। केंद्र और सेबी इस पर मिलकर काम कर रहे हैं।
नई व्यवस्था से निवेशकों और ग्राहकों को अलग-अलग वित्तीय संस्थानों के साथ बार-बार केवाईसी कराने की जरूरत नहीं होगी। बजट में वित्त मंत्री ने सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री को नए रूप में शुरू करने की घोषणा की थी।
सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। यहां पर ग्राहकों से जुड़ी सभी जानकारी एकसाथ दर्ज होगी। जरूरत के अनुसार कोई भी वित्तीय संस्थान यहां पर दर्ज की गई जातकारी आसानी से ले सकेगा।

इस संबंध में क्या हैं आरबीआई के दिशा-निर्देश
आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिक जोखिम वाले ग्राहकों का केवाईसी हर दो साल में, मध्यम जोखिम वालों को केवाईसी हर आठ साल में और कम जोखिम वाले ग्राहकों का हर दस साल में केवाईसी अपडेट करना जरूरी है। पता बदलने की स्थिति में दो महीने के अंदर उसका सत्यापन करना जरूरी है।

अभी क्या आ रही समस्याइस समय
निवेशकों और ग्राहकों को हर जगह केवाईसी करनी पड़ती है। जैसे बैंकों, म्यूचुअल फंड, बीमा और पेंशन योजनाओं में निवेश करने के लिए अलग-अलग केवाईसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

एक व्यक्ति का एक केवाईसी
एआई आधारित चेहरा मिलान तकनीक काउपयोग किया जाएगा ताकि एक व्यक्ति का एक रिकॉर्ड बने। निवेशकों को रिकॉर्ड देखने की छूट होगी और वे जान पाएंगे कि किसने उनके डेटा को अपलोड, अपडेट या डाउनलोड किया है।

यूनिक आईडी होगी
ग्राहकों को एक यूनिक केवाईसी आईडी उपलब्ध कराई जाएगी। यह आधार कार्ड से जुड़ी होगी। इस आईडी से ग्राहक की सभी जानकारी सामने आ जाएगी। कोई जानकारी अपलोड की जाएगी तो उसकी जांच उस डाक्यूमेंट को जारी करने वाली संस्था/एजेंसी से अवश्य कराई जाएगी।

डिजीलॉकर से भी जुड़ेगा
सीकेवाईसी को डिजीलॉकर से भी जोड़ा जाएगा। ओटीपी या चेहरा मिलान के बाद ही किसी जानकारी को शेयर किया जा सकेगा।

आयकर रिटर्न के साथ जरूरी दस्तावेज भी जमा कराने होंगे

आयकर रिटर्न में जरा सी गड़बड़ी भारी पड़ सकती है। इस बार अगर रिटर्न से जुड़े विवरण और दस्तावेजों का मिलान नहीं हुआ तो आपको आयकर विभाग के नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। आयकर विभाग करदाताओं से जरूरी दस्तावेज भी मांग रहा है। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि रिटर्न दाखिल करने से पहले कर संग्रह और अन्य विवरण का ठीक से मिलान कर लें। उसके बाद अगर कर योग्य देनदारी बनती है तो उसे जमा कर रिटर्न दाखिल करें या फिर रिफंड की स्थिति में रिफंड पाने के लिए दावा करें। इस बार आयकर विभाग रिटर्न के लिए एडवांस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें रिटर्न विवरण का दस्तावेजों के साथ मिलान ज्यादा सटीक तरीके से किया जा रहा है। इस काम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी (एआई) का भी उपयोग किया जा रहा है। इसलिए रिटर्न दाखिल करते वक्त सभी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। खासकर अगर कोई व्यक्ति पुरानी कर व्यवस्था के तहत रिटर्न दाखिल कर रहा है तो उन्हें अपने निवेश, ऋण और कर छूट से जुड़े अन्य दावों के सापेक्ष सभीदस्तावेज भी ऑनलाइन अपलोड करने होंगे।

रिटर्न दाखिल करते वक्त अपने सभी बैंक खातों की जानकारी देनी होगी। अगर किसी खाते का व्योरा वार्षिक सूचना विवरण में नहीं है तो वह भी उपलब्ध कराना होगा

ये करदाता भर सकते हैं आईटीआर फॉर्म-1 (सहज)
यह एक पन्ने का फॉर्म है। इसे खासतौर पर नौकरीपेशा, पेंशनभोगी और सीमित आय वाले व्यक्तियों के लिए तैयार किया गया है। अगर आपकी सालाना कुल आय 50 लाख रुपये या उससे कम है,

तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। इसमें नौकरी से आय, एक हाउस प्रॉपर्टी, अन्य स्रोत जैसे ब्याज, सेक्शन 112ए के तहत 1.25 लाख रुपये तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 5,000 रुपये तक की कृषि आय शामिल है।

फॉर्म 26 एएस में कर ब्योरा अधिक

कुछ लोग रिटर्न भरते वक्त सिर्फ वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) देखते हैं जो आपकी वित्तीय वर्ष में आपके द्वारा किए गए लेनदेन का ब्योरा देता है। इसमें म्यूचुअल फंड, शेयर, क्रेडिट कार्ड, संपत्ति की खरीद व बिक्री से जुड़ा ब्योरा दिया जाता है लेकिन फॉर्म 26 एएस काफी जरूरी है क्योंकि यह कर से जुड़ी आधिकारिक जानकारी देता है। रिटर्न भरते वक्त फॉर्म-26 एएस से जुड़े विवरण को जरूर देख लें। इसमें आधिकारिक समग्र कर विवरण उपलब्ध होता है। आपके पैन कार्ड नंबर पर हुई कर कटौती, एडवांस टैक्स, टीसीएस, रिफंड और उच्च मूल्य वाले लेनदेन की जानकारी होती है। **आईटीआर फॉर्म-4 (सुगम)**

इनके लिए जरूरी

यह फॉर्म व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित परिवार या फर्म द्वारा दाखिल किया जा सकता है। इसमें सालाना आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। कारोबार या व्यवसाय से आय की गणना धारा 44एडी, 44एडीए या 44एई के तहत की जाएगी। वेतन/पेंशन, एक गृह संपत्ति, कृषि से 5,000 तक आय प्राप्त करने वाले यह रिटर्न भर सकते हैं।

इंडस्ट्रियल एरिया में श्रमिकों के लिए बन सकेंगे घर

शहरों में कारोबारी माहौल बेहतर बनाने और औद्योगिक श्रमिकों के कल्याण के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता के तहत इस साल पांच हजार करोड़ रुपये मिल सकते हैं। इसमें भी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अगर अपेक्षित सुधारों यानी नियम-कानूनों के झंझटों को कम करने के लिए आगे आता है तो राज्यों को अधिकतम 700 करोड़ रुपये तक की मदद मिल सकती है।

प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं-भूमि और भवन व निर्माण। इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है 60 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले किफायती आवासीय प्रोजेक्टों को बढ़ावा देना। उद्योगों से जुड़े ये आवासीय प्रोजेक्ट मुख्य रूप से औद्योगिक श्रमिकों की आवासीय समस्या का समाधान करेंगे। राज्य सरकारों को औद्योगिक क्षेत्रों अथवा इस्टेट या पार्क में श्रमिकों के लिए आवासीय परियोजनाओं को मुख्य गतिविधि के रूप में अनुमति देनी होगी और घोषित इंडस्ट्रियल एरिया अथवा इस्टेट में भू उपयोग परिवर्तन संभव नहीं होगा।

कारोबारी माहौल में सुधार के संदर्भ में केंद्र सरकार का उद्देश्य शहरों में आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने के लिए एमएसएमई के मौजूदा ढांचे को बल प्रदान करने के साथ ही ऐसे नए उद्योग लगानेकी राह आसान करना है। हालांकि, यह तभी संभव है जब उद्यमियों के लिए नियम-कानूनों का जाल कम किया जाए। विशेष आर्थिक क्षेत्र में इस प्रकार के प्रयास इसलिए अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए, क्योंकि मंजूरियों, निर्माण के नियमों और जमीन के इस्तेमाल को लेकर जटिलताएं अबभी कायम हैं। वित्त मंत्रालय ने इस साल राज्यों की सहायता के संदर्भमें की गई बजट घोषणा के अनुरूप राज्यों को तीन श्रेणियों में बांटा है और उसी के अनुरूप फंड तय किया है। अब आवास और शहरी कार्य मंत्रालय इस योजना के लिए क्रियान्वयन संबंधी दिशा निर्देश जारी करेगा।

भू-उपयोग पर आधारित विकास गतिविधियों के लिए राज्य अपनाएं उदार रवैया

राज्यों के पास सुधार के कदम उठाने के लिए 15 दिसंबर 2026 तक का वक्त है और इसके बाद 20 दिसंबर को शहरी कार्य मंत्रालय अपनी सिफारिशें भेजेगा। भूमि संबंधी सुधारों के तहत राज्यों को मिश्रित भू उपयोग पर आधारित विकास गतिविधियों के लिए उदार रवैया अपनाना होगा। कारोबारी माहौल में सुधार के लिए प्राथमिकता वाले दूसरे घटक यानी भवन और निर्माण में राज्यों से कहा गया है कि वे पीछे और अगल-बगल खाली स्थान छोड़ने के नियमों को तार्किक बनाएं। उदाहरण के लिए 500 वर्ग मीटर से कम और अधिक क्षेत्रफल वाले प्लाट के लिए सेटबैक यानी अनिवार्य खाली स्थान के मानक एक जैसे नहीं हो सकते। उद्यमियों और कारोबारियों की यह शिकायत रही है कि इसके नियम इतने अतार्किक हैं कि उन्हें औद्योगिक प्लाटों में अच्छी-खासी जमीन इस अनिवार्यता को पूरा करने के लिए गंवानी पड़ती है। इसी तरह उन्हें पार्किंग के मानकों को भी सुधारना होगा।

पीएफ खाते से एक लाख तक एटीएम-यूपीआई से निकलेंगे

कर्मचारी भविष्य निधिसंगठन (ईपीएफओ) के सदस्य जल्द ही भविष्य निधि (पीएफ) खाते से अधिकतम एक लाख या 50 फीसदी तक धनराशि तत्काल निकाल सकेंगे। एटीएम या यूपीआई के माध्यम से भी सदस्य यह रकम निकल पाएंगे।
अगस्त के आखिर से ईपीएफओ के सदस्यों को यह सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी तक आपात निकासी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। उसके बाद सत्यापन की प्रक्रिया होती है, जिसके चलते पैसा निकालने में 10 से 15 दिन लगते हैं, मगर ईपीएफओ द्वारा लाए जा रहे नए आईटी सॉफ्टवेयर 3.0 के बाद समय की बाध्यता खत्म हो जाएगी। उसके बाद एक सीमा तक निकासी के लिए किसी तरह के आवेदन की जरूरत नहीं होगी।

अगस्त में सेवा की शुरुआत

सॉफ्टवेयर के छह मॉड्यूल तैयार किए गए है, जिनमें से तीन का ट्रायल सफल रहा है, जबकि दो का ट्रायल चल रहा है और शेष एक का ट्रायल भी जल्द शुरू होगी। अगस्त अंत तक सभी ट्रायल पूरे करके नया सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। शुरुआत में देश के कुछ हिस्सों में यह सेवा शुरू की जाएगी। उसके बाद धीरे-धीरे अगले चार से छह महीनों में बाकी हिस्सों में भी. सेवा की शुरुआत होगी।

अब अपने घर के छह कमरों में बना सकेंगे होमस्टे

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएंडबी) एवं होमस्टे नीति-2025 " को मंजूरी दे दी गई। इस नई नीति का. उद्देश्य राज्य के धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को ठहरने की बेहतर और सुलभ सुविधा प्रदान करना है। पर्यटन विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, अक्सर देखने में आता है कि प्रमुख धार्मिक या पर्यटन स्थलों पर होटल फुल हो जाते हैं, जिससे पर्यटकों को रुकने में परेशानी होती है। इसी समस्या के समाधान के लिए यह नीति तैयार की गई है।

इस तरह मिलेगी अनुमति :

बीएंडबी एवं होमस्टे नीति-2025 के अनुसार धार्मिक और पर्यटन स्थलों में कोई भी व्यक्ति अपने एक से 6 कमरों तक की इकाई को होमस्टे के रूप में रजिस्टर करा सकता है। इसके तहत अधिकतम 12 बेड की अनुमति होगी। कोई भी पर्यटक लगातार सात दिन तक इस सुविधा का लाभ उठाते हुए यहां ठहर सकता है। इससे अधिक ठहरने की स्थिति में रिन्यूअल की भी व्यवस्था होगी। अनुमति की प्रक्रिया जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की अगुवाई वाली कमेटी के माध्यम से पूरी की जाएगी।

आपके घर को मिलेगा खुद का आधार, पता ढूंढ़ना होगा अब आसान

हम सभी अपने घर का पता बताने के लिए मकान नंबर, सड़क, मोहल्ला और शहर बताते हैं। जल्द ही इन सबसे छुटकारा मिलने वाला है। आधार की तरह ही हम सभी के घर की कोडिंग होगी और उसका नंबर 10 अंकों में होगा।
डाक विभाग इस पर ट्रायल के तौर पर काम कर रहा था। अब डाक विभाग ने अपना डिजीपिन जानें डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। डिजीपिन के जरिये आपके घर की स्थिति का सटीक पता चल जाएगा। साथ ही विभाग ने अपना पिनकोड जानें भी लॉन्च किया है। डाक विभाग के अनुसार, पूरे देश को जैसे अलग-अलग पिनकोड में बांटा गया है, वैसे ही अब पूरे देश को डिजीपिन में बांटा जा रहा है। पिनकोड में एक पूरा शहर या एक जिला होता है

जबकि डिजीपिन में पूरेदेश को बेहद छोटे-छोटे हिस्सों बांटा गया है। इसके लिए 4 गुना 4 मीटर का दायरा तय किया गया है। इस पूरे सिस्टम को इसरो, आईआईटी हैदराबाद और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र की मदद से तैयार किया गया है । इसमें सैटेलाइट के जरिये जगहों की मैपिंग की गई है। इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर पूरी जानकारी हासिल की जा सकती हैद्ध अपना डिजीपिन जानें एप पर आप 10 अंकों वाले नंबर के जरिये अपने घर या कार्यालय का पता पंजीकरण कर सकते हैं।

अक्षांश-देशांतर सटीक पता बताएंगे

डिजीपिन (डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर) खुले स्रोत पर आधारित भू-कोडित, ग्रिड आधारित डिजिटल पता प्रणाली है। इसे अक्षांश और देशांतर निर्देशांक का उपयोग कर तैयार किया गया है। डिजीपिन पते को. सटीक अक्षांश-देशांश निर्देशांकों से जोड़ता है। यह सुरक्षित और मानकीकृत डिजिटल पता समाधान प्रदान कर पता-के-रूप-में-सेवा को सुलभ बनाता है। यह लॉजिस्टिक्स, आपातकालीन प्रतिक्रिया और डिजिटल गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिये भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) उपकरणों को शामिल करता है।

मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए आएगी अलग नीति

सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग की सिफारिश पर एमएसएमई मंत्रालय गंभीरता से कर रहा विचार

सरकार मीडियम इंटरप्राइजेज (मध्यम उद्यम) के लिए अलग से नीति ला सकती है। नीति आयोग की सिफारिश पर एमएसएमई मंत्रालय इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। नीति आयोग ने मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए अलग से वित्तीय व्यवस्था, उनके कारोबारी संचालन में टेक्नोलाजी का अधिकाधिक इस्तेमाल, अनुसंधान व विकास पर जोर, क्लस्टर के हिसाब से टेस्टिंग सुविधा, श्रमिकों का विशेष प्रशिक्षण और मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए केंद्रीकृत पोर्टल बनाने की सिफारिश की है।

मीडियम इंटरप्राइजेज मैन्यूफैक्चरिंग और निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें प्रोत्साहित करने से मैन्यूफैक्चरिंग और निर्यात दोनों को बढ़ाया जा सकता है। इससे देश के रोजगार में बढ़ोतरी होगी। माइक्रो, स्माल व मीडियम इंटरप्राइजेज(एमएसएमई) का जीडीपी में 29 प्रतिशत तो निर्यात में 40 प्रतिशत का योगदान है। एमएसएमई में मीडियम इंटरप्राइजेज की हिस्सेदारी एक प्रतिशत है, लेकिन निर्यात में एमएसएमई के 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी में 40 प्रतिशत योगदान मीडियम इंटरप्राइजेज का है। मतलब एक प्रतिशत मीडियम इंटरप्राइजेज का निर्यात में औसत योगदान काफी अधिक है। वहीं, एमएसएमई में शामिल माइक्रो यूनिट सबसे अधिक हैं, लेकिन 70 प्रतिशत माइक्रो इंटरप्राइजेज सर्विस सेक्टर में है और सिर्फ 30 प्रतिशत माइक्रो उद्यमी मैन्यूफैक्चरिंग कर रहे हैं।

40 प्रतिशत का योगदान देते हैं देश के निर्यात में एमएसएमई

---

58 प्रतिशत मीडियम इंटरप्राइजेज मैन्यूफैक्चरिंग से जुड़े है

बजट में बदली गई थी एमएसएमई की परिभाषा

चालू वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में एमएसएमई की परिभाषा को बदल दिया गया और नई परिभाषा के मुताबिक 500 करोड़ तक के टर्नओवर वाली यूनिट मीडियम इंटरप्राइजेज के दायरे में आएंगी। पहले यह सीमा 250 करोड़ की थी।

48 प्रतिशत स्माल यूनिव मैन्यूफैक्चरिंग कर रही है, लेकिन 58 प्रतिशत मीडियम इंटरप्राइजेज मैन्यूफैक्चरिंग से जुड़े हैं।

कारोबार को विस्तार देने और निर्यात बढ़ाने में मिलेगी मदद

नीति आयोग का मानना है कि मीडियम इंटरप्राइजेज को वित्तीय सहायता देने के लिए अलग से विशेष इंतजाम किए जाते हैं तो इससे उन्हें अपने कारोबार को विस्तार देने में और मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। रोजगार देने के मामले में भी मीडियम इंटरप्राइजेज काफी आगे हैं। एक माइक्रो यूनिट में औसतन 5.7 लोगों को नौकरी मिलती है तो स्माल यूनिट में यह औसत 19.11 लोगों का है। दूसरी तरफ एक मीडियम इंटरप्राइजेज में औसतन 89.14 लोगों को प्रत्यक्ष नौकरी मिलती है। इसलिए मीडियम इंटरप्राइजेज के बढ़ने से रोजगार की संख्या भी बढ़ेगी।

मीडियम इंटरप्राइजेज को मिलता है चुनिंदा स्कीमों का लाभ

अभी माइक्रो और स्माल के लिए 20 वित्तीय योजनाएं चल रही है, लेकिन इनमें से चुनिंदा स्कीम का ही लाभ मीडियम इंटरप्राइजेज को मिलता है। इसको ध्यान में रखते हुए श्रमिकों को प्रशिक्षित करने और मैन्यूफैक्चरिंग में नवीनतम टेक्नोलाजी के प्रयोग से मीडियम इंटरप्राइजेज की लागत में कमी आएगी और उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ने से प्रतिस्पर्धा क्षमता भी बढ़ेगी

सीपीसीबी सीधे उद्यमी और व्यापारियों को देगा एनओसी

देश के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उद्यमी-व्यापारियों को अब अपना उद्योग या व्यवसाय शुरू करने अथवा उसको चलाने के लिए स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ही उन्हें सीधे एनओसी जारी करेगा। 'ईज आफ डूइंग बिजनेस' अवधारणा के तहत देशभर के उद्यमियों और व्यापारियों की राह आसान करने के लिए सीपीसीबी एक नई पहल करने जा रहा है। राज्य स्तर पर एनओसी बनवाने के नाम पर उद्यमी व्यापारियों को खासा परेशानी होती रही है। इस सबसे स्थायी तौर पर छुटकारा दिलाने के लिए सीपीसीबी के स्तर पर पहली बार एक कामन कंसेंट पोर्टल तैयार किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक इस कामन कंसेंट पोर्टल पर आवेदन करने के बाद सीपीसीबी अपने स्तर पर एक समयबद्ध सीमा में संबंधित राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति से विस्तृत रिपोर्ट मंगवाएगा।

देशभर के लिए तैयार किए जा रहे कामन कंसेंट पोर्टल पर करना होगा आवेदन

“कामन कसेंट पोर्टल तैयार करने का निर्णय सीपीसीबी की एक सकारात्मक पहल है। इससे देशभर के करोड़ों उद्यमी व्यापारियों की परेशानी दूर होने के साथ सीपीसीबी के सालाना राजस्व में भी वृद्धि होगी।

इसके बाद उसी रिपोर्ट के आधार पर एनओसी जारी कर दी जाएगी। एनओसी के लिए वसूली गई निर्धारित फीस संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रदूषण निकाय के बैंक खाते में ही जाएगी लेकिन इस फीस में सेवा शुल्क के तौर पर पांच प्रतिशत राशि सीपीसीबी खुद लेगा। वर्ष 2026 की शुरुआत में इस पोर्टल के आरंभ होने की संभावना है।

Government approves Rs 417 crore electronics manufacturing cluster in Uttar Pradesh

In a bid to strengthen electronic manufacturing in the country, the government approved the establishment of an Electronics Manufacturing Cluster (EMC 2.0) in Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, with a project outlay of Rs 417 crore.

The new cluster will cater to the production of consumer electronics, automotive and industrial electronics, medical devices, computer hardware, and communication equipment. Minister for Electronics and Information Technology, Ashwini Vaishnaw, said the project is expected to attract investments worth Rs 2,500 crore and generate approximately 15,000 jobs.

“The project will lead to the creation of world-cl-ass infrastructure and generate 15,000 jobs. It is fully in line with Prime Minister Shri Narendra Modi’s vision of promoting manufacturing in India. It reflects the government’s sharp focus on job creation and building a Viksit Bharat,” said Vaishnaw.

The EMC 2.0 project will be developed by the Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA) and will span over 200 acres. Vaishnaw said that the State Government will play a key role in implementing the project, and officials have been directed to coordinate closely with state authorities to ensure its timely execution.

As per the government startups and MSMEs will benefit from access to world-cl-ass plug-and-play infrastructure and shared facilities, including standard factory sheds, electricity and water supply, sewage treatment, hostels, skill development centres, and health centres. This is expected to significantly reduce infrastructure and logistics costs.

The cluster is also surrounded by important industrial zones like the Medical Device Park, MSME & Apparel Park, and the Aviation Hub.

So far, projects under the EMC scheme have attracted investments of around Rs 30,000 crore, drawing over 520 companies and generating more than 86,000 jobs.

Exporters No Longer Restricted To SEZs, Can Now Operate From Any Location: FM

Union Finance Minister announced that the Modi government has transformed India's export landscape by enabling exporters to operate from any location, eliminating the previous requirement to be situated within Special Economic Zones (SEZs).

Finance Minister said emphasised that India's export performance has exceeded global growth rates.

The government has adopted a clustered development approach to create export hubs through various initiatives including Make in India, Production-Linked Incentives (PLI) schemes, One District One Product (ODOP), and Districts as Export Hubs (DEH).

This strategy represents a significant departure from the decades-old system where SEZs were the primary drivers of export promotion.

She explained that over the past decade, the government has introduced a new dimension allowing businesses to export directly from districts without requiring SEZ locations.

She noted that while SEZs will continue to function as specialised export promotion zones, they are no longer the exclusive pathway for export activities. India's export performance has demonstrated remarkable growth, with total exports India's export performance has demonstrated remarkable growth, with total exports reaching an all-time high of USD 825 billion, representing a 6.3 per cent increase.

This growth significantly outpaced the global export growth rate of 4 per cent. The country achieved a substantial increase of over USD 466 billion compared to 2013-14 figures.

The Finance Minister highlighted a qualitative transformation in India's export composition, moving beyond traditional bulk exports of raw materials and commodities.

Current exports increasingly feature technology-infused, high-end products that incorporate innovation and intellectual property. This shift reflects India's evolution toward exporting well-engineered products that meet international standards.

Sectors supported by PLI schemes have contributed significantly to this export success, generating exports worth ₹5.31 lakh crore or USD 62 billion. The primary contributors within this category include large-scale electronics manufacturing, pharmaceuticals, processed foods, and telecommunications and network products, demonstrating the diversification and technological advancement of India's export portfolio.

Online Dispute Resolution for MSE Payment Delays to Launch Next Week

The government is set to launch an Online Dispute Resolution (ODR) mechanism next week to resolve delayed payment issues faced by micro and small enterprises (MSEs), officials have confirmed. Currently, the Samadhaan portal allows MSEs to register complaints about delayed payments but offers limited digital features.

The upcoming ODR system will enhance this by enabling parties to submit supporting documents digitally right from the complaint stage. The entire process — from filing to sending notices and conducting hearings — will be digitised for greater efficiency and transparency. A government official stated, “The scheme promotes document-only dispute resolution, similar to commercial cases where written records take precedence over verbal submissions.” MSEs will also benefit from concessions in application, documentation, and other procedural fees.

The initiative falls under the MSME Development Act and aims to reinforce the role of Micro and Small Enterprises Facilitation Councils (MSEFCs), which were established under the same Act.

These councils will receive financial assistance to strengthen their legal and technological infrastructure, improving institutional support for small businesses.

According to the MSMED Act, buyers are mandated to clear payments to MSE suppliers within 45 days. Failure to do so makes them liable to pay interest. The new ODR mechanism will help enforce this provision more effectively.

Additionally, the government is integrating artificial intelligence into the process, offering parties the option to resolve disputes through an AI-facilitated system before approaching MSEFCs.

This step is expected to reduce case backlogs and make the dispute resolution system more accessible and efficient for small businesses.

DGFT Tightens Import Restrictions On Precious Metal Alloys & Chemical Compounds Containing Gold

The Directorate General of Foreign Trade (DGFT), Ministry of Commerce and Industry, has issued two new notifications—No. 18/2025-26 and No. 19/2025-26, both dated 17 June 2025.

The notifications introduce restrictions on the import of certain precious metal alloys and chemical compounds to enhance regulatory oversight while ensuring uninterrupted supply for legitimate industrial use.

Under Notification No. 18/2025-26, the DGFT has restricted the import of alloys containing Palladium, Rhodium, and Iridium with more than 1 percent gold by weight.

This measure extends the earlier restriction on Platinum imports (Notification No. 60/2024-25 dated 5 March 2025) to cover the entire Customs Tariff Heading (CTH) 7110 at the 4-digit level.

The move is aimed at harmonising the import policy framework across all precious metals and their alloys.

However, in a calibrated trade facilitation approach, the import of alloys with less than 1 percent gold content remains free.

This ensures the continued availability of essential raw materials for sectors such as electronics, automotive components, and specialised chemical manufacturing.

In a related move, DGFT has issued Notification No. 19/2025-26 to regulate imports under CTH 2843, which includes colloidal metals, amalgams, and certain chemical compounds. The decision was prompted by concerns over gold being imported disguised as chemical compounds to bypass restrictions.

While imports under this category will now require an import authorisation, exemptions have been made for industrial users, including the electronics, electrical, and chemical sectors.

Detailed guidelines and procedures are available on the official DGFT website: https://dgft.gov.in

---

Simplify GST registration, plug tax leakage: FM

Finance Minister has urged the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) to simplify GST registration processes and expedite grievance redressal and refunds, particularly for MSMEs and exporters.She stressed the need for speedy closure of investigations in the Customs and GST cases, while ensuring prevention of tax evasion.

In its presentation, the CBIC said, “detected GST evasion grew to Rs 2,23,170 crore in 2024–25, with voluntary payments totalling Rs 28,909 crore.”

She also asked the board to take further measures to prevent wrongful input tax credits (ITC) claims, promptly address public grievances received through the centralised public grievance redress and monitoring system (CPGRAMS) and reduce dwell time for imports, the finance ministry said in a statement.

The average time for grievance disposal has been reduced to just 9 days, significantly better than the stipulated 21-day timeline the CBIC noted. An impressive 95% to 97% of CPGRAMS appeals are being disposed of within 30 days.

This performance has placed CBIC among the top 5 out of 90 Central Ministries in CPGRAMS rankings since February 2024. She called for the speedy closure of investigations for customs and Central GST cases, and exhorted for an analysis on detection and recovery and to seek solutions to reduce the gap between detection and recovery.

It was informed that national average for GSTR-3B filing stood at 94.3% in 2024–25.GSTR-3B is a simplified summary return and the purpose of the return is for taxpayers to declare their summary GST liabilities for a particular tax period and discharge these liabilities GST audit coverage rose from 62.21% in 2022–23 to 88.74% in 2024–25. It was also noted that the number of taxpayers repeated for audit more than once in 3 years is zero.

The minister urged the CBIC to expedite the processing of GST and customs refunds to ensure timely redressal and ease of doing business, especially for MSMEs and exporters. About 85% of claims were processed within the statutory 60-day limit, CBIC said. To promote trade, she asked the Customs to reduce dwell time at seaports, airports, and Inland Container Depots (ICDs) for both imports and exports, and emphasised that faster cargo clearance is crucial to enhance India's global trade competitiveness and ease of doing business.

According to CBIC, facilitation of cargo through the Risk Management System (RMS) has steadily increased, with 86% of cargo being facilitated in 2025, up from 82% in 2022.

Taking note of pending disciplinary matters, she directed that disciplinary proceedings against the officials at different levels be concluded expeditiously in a time-bound manner. The CBIC was also urged to fill all vacant posts at the earliest, across various levels, to strengthen field formations and enhance administrative efficiency.

Finance Ministry pitches for improving export cargo facilities on ports

A finance ministry report on Friday made a case for improving gate infrastructure including IT systems, scanning facilities, temperature-controlled facilities for perishable export cargo across ports. Also, post-clearance logistics processes need to be improved to achieve faster release time and streamlined movement of cargo. Finance and Corporate Affairs Minister released the fifth edition of National Time Release Study (NTRS), a performance measurement tool that provides a quantitative assessment of the time taken for cargo release. The NTRS 2025 is the fifth national-level edition of this annual study, conducted using a standardised methodology. It covers 62,981 Bills of Entry (BoEs) for imports and 69,533 Shipping Bills (SBs) for exports filed during the first week of January 2025. The study spans 15 major customs formations, grouped under four categories - Seaports, Inland Container Depots (ICDs), Integrated Check Posts (ICPs), and Air Cargo Complexes (ACCs) - which together account for a significant share of the total BoEs and shipping bills filed across India.

In the import segment, the study said Average Release Time (ART) declined between 2023 and 2025 across seaports (about 6 hours), ACCs (about 5 hours), and ICPs (about 18 hours), while ICDs saw an increase of around 12 hours.

Performance against NTFAP 3 targets showed that 93.33 per cent of import cargo at ICPs met the 48-hour target, followed by air cargo complexes (55.03 per cent within 24 hours), seaports (51.76 per cent), and ICDs (43.7 per cent). Export cargo analysis, from arrival to final departure, revealed varied patterns across port categories. Regulatory clearance (arrival to Let Export Order) was fastest at air cargo complexes (under 4 hours) and ICPs (06:10 hours), according to NTRS. At seaports, regulatory clearance averaged 29:36 hours, with post-LEO logistics extending to 157:50 hours. At ICDs, regulatory clearance of exports took 30 hours, with improvement in post-LEO logistics time to 99:51 hours. On facilitating export cargo, the study has made several recommendations, including for reduction of manual documentation processes at port gates and minimising instances of delays in duty payment. "In terms of infrastructure, there is scope for enhanced gate infrastructure (including IT systems), scanning facilities, temperature-controlled facilities for perishable cargo, etc across ports," the study said. Post-clearance logistics processes need to be improved to achieve faster release time and streamlined movement of cargo, it suggested.

Regarding imports, the study said post-clearance delays, especially at ICDs, continue to impact overall efficiency, highlighting the need for targeted procedural and operational improvements. The ministry said a key strength of India's TRS lies in its use of accurate and reliable data sourced directly from the Customs Automated System, operated by the Directorate General of Systems and Data Management, CBIC.

Over the years, the scope of TRS has significantly expanded. What began as a report measuring release time across select gateway ports went on to include other areas of considerable importance such as transit cargo, courier shipments, and commodity-specific assessments, it said...

Import Duty Reduced on Crude Edible Oils to 10%

In a significant move to curb rising edible oil prices, the government has reduced the Basic Customs Duty (BCD) on crude edible oils—soybean, sunflower, and palm—from 20 per cent to 10 per cent. This step, announced on Wednesday, is expected to lower the overall cost of these oils and provide relief to consumers.

The Food Ministry stated that the reduction in duty will increase the gap between the import duties on crude and refined edible oils from 8.75 per cent to 19.25 per cent.

This widened differential is designed to promote domestic refining by making crude oil imports more attractive than refined oil imports. As a result, the move is expected to boost capacity utilisation in the local refining industry and decrease India's dependence on imported refined oils.

The ministry further noted that the decision was made in response to a spike in edible oil prices caused by the September 2024 duty hike and rising international market rates.

To ensure the benefits reach consumers quickly, the Union Food Ministry has directed edible oil industry associations to immediately reduce prices.

They are required to update their Price to Distributors (PTD) and Maximum Retail Price (MRP) accordingly. A reporting format has also been issued to companies to track compliance.

The ministry emphasised the importance of passing on the reduced costs throughout the supply chain so that retail prices reflect the duty cut.

This measure is part of the government's broader efforts to manage inflation and ensure essential commodities remain affordable for the general public.

Finance Ministry Allows Bonus Shares In FDI-Restricted Sectors

The Finance Ministry has modified foreign direct investment regulations to permit Indian companies operating in sectors where FDI is prohibited to issue bonus shares to existing non-resident shareholders.

The amendment was announced through the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) (Amendment) Rules, 2025, which became effective June 11.

Under the new framework, companies can distribute bonus shares to their current non-resident investors, provided the shareholders' ownership percentages remain constant following the issuance.

The ministry emphasised that the proportional stakes of such shareholders must not change despite the bonus share allocation.

Industry experts view the regulatory change as providing companies with enhanced flexibility for equity restructuring while maintaining compliance with existing FDI policies.

The modification is expected to improve capital management practices for businesses operating in sectors with foreign investment restrictions.

The amendment follows similar regulatory relief introduced by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade in April, which addressed comparable concerns in the broader FDI policy framework.

The Finance Ministry implemented these changes by incorporating a new sub-rule into the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019.

The notification includes retrospective provisions, stating that bonus shares issued to qualifying shareholders before the rule's implementation will be considered compliant with current regulations and related guidelines.

This provision offers clarity for companies that may have issued such shares in recent periods.

The regulatory adjustment represents part of the government's continued efforts to liberalise equity investment rules and enhance India's attractiveness to foreign capital.

The move reflects ongoing policy initiatives aimed at streamlining investment procedures while maintaining sectoral investment controls where deemed necessary for national interests.

India Strengthens Specialty Chemical Capabilities with TDB-backed Clearsynth Facility

In a landmark initiative, the Technology Development Board (TDB) under the Department of Science and Technology (DST), Government of India, has extended financial support to Clearsynth Labs Limited for establishing a large-scale facility to manufacture deuterated reagents and building blocks.

This move aims to reduce India's reliance on imports and boost self-reliance in high-end chemical technologies.

Deuterated compounds, critical for pharmaceuticals, OLEDs, semiconductors, and fiber optics, are currently mostly imported into India.

Despite a strong pharmaceutical manufacturing base, Indian companies have limited capacity to produce isotope-labelled compounds.

The new facility, enabled by TDB's support, will allow Clearsynth to scale up indigenous production and serve both domestic and global markets.

This initiative aligns with the government's Make in India and Atmanirbhar Bharat missions, aiming to position India as a global supplier of high-value specialty chemicals.

It also leverages a strategic agreement with the Heavy Water Board (HWB), Department of Atomic Energy (DAE), ensuring long-term access to heavy water, a key input in deuterated compound production.

Speaking on the development, Rajesh Kumar Pathak, Secretary, TDB, stated, "This project positions India to capitalise on the expanding global market for deuterated compounds."

Vijay Ambati, MD & CEO of Clearsynth Labs, emphasised the project's potential to meet stringent global standards at competitive prices.

The project is expected to strengthen indigenous production of isotope-labelled compounds, reduce import dependency and save foreign exchange, and foster innovation and create high-skilled jobs in R&D and manufacturing.

India is now well-placed to become a preferred sourcing hub for specialty isotopic chemicals.

SEZ Rules Relaxed; Land Requirement Down From 50 To 10 Hectares Acre To Boost Semiconductor, Electronics Manufacturing

The Government of India has modified the Special Economic Zones rules to facilitate semiconductor and electronics components manufacturing, according to an announcement made by the Ministry of Commerce and Industry on Monday.

The amendments are designed to accommodate the specialized requirements of these high-technology sectors and encourage investment in manufacturing activities.

The semiconductor and electronics manufacturing industries are characterised by significant capital requirements, substantial import dependencies, and extended periods before achieving profitability.

The rule modifications aim to address these sector-specific challenges through targeted policy interventions.

Key changes to the SEZ framework include a substantial reduction in the minimum contiguous land area requirement for semiconductor and electronics component manufacturing zones, decreasing from 50 hectares to 10 hectares.

Additionally, the Board of Approval for SEZs has been granted authority to waive the encumbrance-free land condition in cases where properties are mortgaged or leased to central or state governments or their authorised agencies.

The amendments also introduce flexibility in Net Foreign Exchange calculations by permitting the inclusion of goods received and supplied on a complimentary basis.

SEZ units operating in these sectors will be permitted to supply products to the Domestic Tariff Area following payment of applicable duties.

According to the ministry, these policy changes are expected to enhance high-technology manufacturing capabilities, strengthen the semiconductor manufacturing ecosystem, and generate skilled employment opportunities across the country.

The Department of Commerce formally notified these amendments on June 3, 2025.

Following the rule modifications, the Board of Approval for SEZs has approved proposals from Micron Semiconductor Technology India and Hubballi Durable Goods Cluster, operated by Aequs Group.

These approvals represent concrete steps toward establishing semiconductor and electronics component manufacturing facilities under the new framework.

Micron Semiconductor Technology India will develop its SEZ facility in Sanand, Gujarat, spanning 37.64 hectares with a projected investment of Rs 13,000 crore for semiconductor manufacturing.

Simultaneously, Aequs Group will establish its electronics components manufacturing SEZ in Dharwad, Karnataka, covering 11.55 hectares with an estimated investment of Rs 100 crore.